

हरिद्वार जाने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी

6 अच्छी खबर
देवढूला। मुख्य संवाददाता
 हरिद्वार जाने वाले कावड़ यात्री और दिल्ली-एरोसोआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जामनाबाद से हरिद्वार के बीच जाम से मुक्ति नहीं पड़ेगी।
 नई प्रतीतिगत गंगोत्री कावड़ पट्टे मार्ग के चौड़ीकरण के लिए उत्तराखण्ड शासन ने बजट जारी कर दिया है। इस काम को अगले साल अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे हरिद्वार (जाम) में जटिलता घुलने कावड़ यात्री मार्ग पर जाम कावड़ यात्री के साथ संसकार हरिद्वार में आउटर रिम सेइ पर भी तेजी से काम कर रही है। इससे हरिद्वार में प्रमुख छात्र/समान पर लंबा वार्ड जाम (गंगोत्री) तक दूर हो जाएगा।
 -मदन कौशिक, शरीर कलाकार श्री पटना



हरिद्वार से आकर कावड़ यात्री के बाहर से होकर शहर से 10 किलोमीटर पर देवढूला स्थित एक ट्रैकिंग डाक्टर के कैंप में रुकेंगे।
 51 किलोमीटर की दूरी पर देवढूला स्थित एक ट्रैकिंग डाक्टर के कैंप में रुकेंगे।
 51 किलोमीटर की दूरी पर देवढूला स्थित एक ट्रैकिंग डाक्टर के कैंप में रुकेंगे।

यूपी पहले ही कर चुका है आपने हिस्से का काम
 उत्तर प्रदेश अपने हिस्से में गंगा-यमुना की जोड़ने का काम कर चुका है। इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
कावड़ यात्रा आसान होगी
 उत्तर प्रदेश के बन जाने से कावड़ यात्री के बीच हरिद्वार तक रास्ता आसान होगा।
कुंम में मिलेगी बड़ी राहत
 हरिद्वार में प्रस्तावित 2021 मसूमे में देवढूला स्थित एक ट्रैकिंग डाक्टर के कैंप में रुकेंगे।

आइना
आईएसएल बर्खास्तगी के खिलाफ लड़ेंगे
 कोषिका (केसल) के एक अभियंता के खिलाफ आईएसएल बर्खास्तगी के खिलाफ लड़ेंगे।
साथी प्रजा दबकर को सत्तावाहक पट्टी से छूट
 मुख्य (कावड़ यात्री) को सत्तावाहक पट्टी से छूटने का प्रयास किया गया है।

खराब रिकॉर्ड पाए जाने पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है सरकारी : सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी

नई दिल्ली। एबीपी
 सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इससे उदर निर्धारण के लिए प्रस्तावित करों के बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।

15 जुलाई से होगी शुरुआत
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।
इस नियम के तहत होगी कार्रवाई
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।

नियत समय पर कर्म चुकाना होगा
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।

आईटी सेक्टर में चार लाख रोजगार मिलेंगे
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।

अवसर
 सरकारी कर्मियों के काम की समीक्षा होगी।

मुज्जा बजरंगी की हत्या मामले में जेलर बर्खास्त

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता
 जेलर के खिलाफ मुज्जा बजरंगी की हत्या के मामले में जेलर बर्खास्त किए गए हैं।
 जेलर के खिलाफ मुज्जा बजरंगी की हत्या के मामले में जेलर बर्खास्त किए गए हैं।

100 दिन के एजेंडे में दो भी
 जेलर के खिलाफ मुज्जा बजरंगी की हत्या के मामले में जेलर बर्खास्त किए गए हैं।

राम रहीम ने खेती करने के लिए मांगी पैसाले

देवढूला (हरिद्वार)। एबीपी
 राम रहीम ने खेती करने के लिए मांगी पैसाले।
 राम रहीम ने खेती करने के लिए मांगी पैसाले।

आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपपत्र दाखिल

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
 आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
 आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

हादसा वकीलों की सूझा पर 25 को सुनवाई होगी
 हादसा वकीलों की सूझा पर 25 को सुनवाई होगी।

छात्रों को पायलट बनने के लिए प्रेरित करेगा केंद्र

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता
 छात्रों को पायलट बनने के लिए प्रेरित करेगा केंद्र।
 छात्रों को पायलट बनने के लिए प्रेरित करेगा केंद्र।

100 दिन के एजेंडे में दो भी
 छात्रों को पायलट बनने के लिए प्रेरित करेगा केंद्र।

मुंजाल शोवा लिमिटेड

मुंजाल शोवा लिमिटेड
 मुंजाल शोवा लिमिटेड का विवरण।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (ऊर्जा विभाग) आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, आईओपी० एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
 यह पद भारत सरकार के सचिव के स्तर का है।
योग्यता:-
 दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य क्षमता, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है, और निम्नलिखित इंगीनिअरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दशांगी है।
सदस्य की सेवा के निबंधन एवं शर्तों:-
 (1) सदस्य उस तिथि से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, जिस तिथि तक वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो। केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में जिसमें पहले पद धारण कर चुके हैं उसमें सदस्य के रूप में उसी क्षमता में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
 (2) सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, ऐसे यथावधि प्रारंभिक प्रतिकरण के समक्ष तथा विनिर्धारित रूप एवं पद्धति में पद और योग्यताओं की रायप लेगा।
 (3) सदस्य -
 (क) समुचित सरकार को लिखित में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकता है, या
 (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार उनको पद से हटाया जा सकता है।
 (4) सदस्य के उपरोक्त रूप में कार्यभार न होने पर वह:-
 (क) किसी व्यवसायिक रोजगार के कार्यालय में कार्य की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये कोई व्यवसायिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा, तथा
 (ख) केंद्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग में किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
 (5) वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (वेतन, भत्ते और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियमालय, 2001 द्वारा शासित होंगी। सदस्य को प्रति माह अल्पतः हजार रुपये (निरत), (पूर्व संघोषित वेतनमान) का वेतन प्राप्त होगा, यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का वेतन उसके द्वारा आहरित पेंशन राशि द्वारा कम हो जाएगा।
 (6) निम्न व्यक्ति का वित्तीय या अन्य ऐसा हित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रभावित होने की संभावना है, पता नहीं होगा।
 आवेदन विस्तृत जीवन - वृत्त के साथ पांच वर्ष की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और सतर्कता बलीयेंस की प्रतियाँ सचिव (ऊर्जा), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आठवां तल, बी-विंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002 (विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर) को भेजें।